RAJYA SABHA

Friday, the 4th December, 1998/ 13 Agrahayana, 1920 (Saka)

The House met at eleven of the clock.

Mr. Chairman: in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में सरसों के मिलावटी तेल की बिक्री के संबंध में कार्रवाई

@ *81. **श्री रामजीलाल:**
श्री अमर सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त-सितम्बर, 1998 में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सरसों के तेल में मिलावट के कारण अनेक मौतें हुई थीं तथा बहुत से लोग बीमार हो गए थे,

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा क्या राहत प्रदान की गई,

(ग) क्या मिलावटी तेल की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों तथा तेल की गुणवत्ता की जांच करने में बुरी तरह से विफल रहे विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गयी है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) भविष्य में खाद्य पदार्थों में विलावट की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (एजिलमलाई): (क) से (घ) एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरसों के तेल और अन्य खाद्य वसा में मिलावट के कारण ड्राप्सी से कुल 2992 व्यक्ति प्रभावित हुए। इनमें से 67 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। राज्यवार सूचना विवरण-I में दी गई है (नीचे देखिए)।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, मुआवजा पाने के लिए दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत छः मामले दायर किए गए हैं।

(ग) व्यापारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है क्योंकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का प्रवर्तन उनके द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 84 मामलों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत मुकदमें चलाने की कार्यवाहियां आरम्भ की गई है। इन सभी मुकदमों में अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सरकार के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 7-9-98 को एक और मामला दर्ज किया है और आगे जांच शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध नामोदिर्दिष्ट अदालत में 23-11-98 को भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र दायर किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के अधिकारियों ने सरसों के तेल में मिलावट का पता लगाने तथा यह देखने के लिए अभियान चलाया कि संगत अवधि में खुले/पैक शुदा (डिब्बाबंद) सरसों के तेल की बिक्री पूरी तरह रोक दी जाए। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सभी 27 उपखंड मजिस्ट्रेटों, जिन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी अधिसूचित किया गया था, की देख-रेख में बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। इसके परिणामस्वरूप, 23 सितम्बर, 1998 तक आम जनता, पुलिस और अस्पतालों से 869 नमूने उठाए गए/प्राप्त हुए।

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किया गया है, खाद्य तेलों के संकट के दौरान राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई लापरवाही सिद्ध नहीं हुई और इसलिए उनके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सरसों के तेल सहित सभी खाद्य तेलों के अधिक से अधिक नमूने लें और स्थिति पर सतत् नजर रखें। सरकार ने दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 584 (ङ) के द्वारा खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 प्रख्यापित किया है। इस आदेश के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सरसों के खाद्य तेल सहित खाद्य तेलों की 15

† सभा में यह प्रश्न श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया।

@ प्रश्न सं॰ 81 और 97 साथ-साथ लिये गये।

सितम्बर, 1998 से केवल पैक (डिब्बाबंद) करके बेचने की अनुमति होगी और पैक करने वालों को पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपने आप को पंजीकृत करना होगा और खाद्य तेल के नमूनों की जांच करने के लिए ऐसी विश्लेषणात्मक सुविधाएं स्थापित करनी होंगी जिनसे सरकार सन्तुष्ट हो। इस आदेश की मुख्य-मुख्य बातें विवरण-II में दी गई हैं (नीचे देखिए)।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विभिन्न अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं जो विवरण-II में सूचीबद्ध किए गए हैं।

विवरण-I

ड्राप्सी के रोगी

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय-राज्य सरकार के अस्पतालों में 5.8.98 से अब तक सूचित ड्राप्सी रोगियों की कुल संख्या	मौतें
1.	असम	88	
2.	दिल्ली	2556	66
3.	गुजरात	41	
4.	हरियाणा	18	
5.	जम्मू एवं कश्मीर	08	
6.	मेघालय	3	
7.	मिजोरम	1	
8.	पंजाब	02	
9.	राजस्थान	40	
10.	सिक्किम	01	
11.	उत्तर प्रदेश	234	1
	कुल	2992	67

विवरण-II

(i) सरसों के खाद्य तेल सहित खाद्य तेलों को 15 दिसम्बर, 1998 से केवल पैक (डिब्बाबन्द) करके बेचने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) पैक करने वाले व्यक्तियों को अपने-आपको किसी पंजीयन प्राधिकरण में पंजीकृत करवाना होगा;

(iii) पैक करने वाले व्यक्ति के पास सरकार की संतुष्टि के अनुसार खाद्य तेलों के नमूनों की जांच करने हेतु अपनी विश्लेषणात्मक सुविधाएं होंगी अथवा पर्याप्त प्रबंध होंगे;

(iv) केवल ऐसे तेलों को, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होंगे, पैक करने की अनुमति दी जाएगी;

(v) प्रत्येक कान्टेनर अथवा पैकेट पर सभी संगत विवरण दर्शाने होंगे ताकि उपभोक्ता गुमराह न हों और पैक करने वाले की पहचान भी स्पष्ट हो सके;

(vi) खाद्य तेल बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 1977 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के समनुरूप पैक किए जाएंगे;

(vii) राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए पैक करने संबंधी आदेश की किसी भी अपेक्षा को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त होगी।

खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 के कार्यान्वयन की शक्ति मूल रूप से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है। पैक करने वाले व्यक्तियों को अपने-आपको राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत करवाना होगा। यह पंजीकरण तीन वर्ष के लिए वैद्य रहेगा यदि इससे पहले निलंबित न किया गया हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा लेकिन आदेश के अधीन 15 दिसम्बर, 1998 तक तैयारी करने का समय दिया गया है जिसके बाद किसी भी बिना पैक किए गए तेल को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विवरण-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मिलावट की जांच करने हेतु किए गए अतिरिक्त निवारक

1. सभी 27 उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और खाद्य तेल में मिलावट का पता लगाने के लिए गहन छापे मारे गए हैं।

2. प्रचार माध्यमों से सरसों के तेल में मिलावट के कुप्रभावों के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय और देशी भाषा के समाचार पत्रों नामतः हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में नियमित आधार पर सार्वजनिक अपीलें प्रकाशित की गई हैं। खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने

भी इस संबंध में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अपीलें की हैं।

4. लोगों को खाद्य प्राधिकारी निदेशालय में एक नियंत्रण कक्ष जो 9 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक कार्य करता है, स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी गई है।

5. उपखण्ड अधिकारी/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी की देख रेख में व्यापक छापे मारे गए जिसके परिणामस्वरूप 23 सितम्बर, 1998 तक आम लोगों, पुलिस और अस्पतालों से 869 से अधिक नमूनें उठाए गए हैं। प्राप्त किए गए हैं।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा खाद्य अपमिश्रत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 27 अगस्त 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें जनहित में सभी खुले रूप में सरसों के तेल की बिक्री के प्रस्ताव तथा बिक्री के लिए प्रदर्शित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

7. खाद्य अपमिश्रत निवारण अधिनियम 1998 के अन्तर्गत 29 अगस्त 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें मानव उपयोग के लिए सरसों के तेल की बिक्री, बिक्री के प्रस्ताव तथा बिक्री के लिए सरसों के तेल (खुले अथवा पैक बंद दोनों रूपों में) प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 23 सितम्बर 1998 को खाद्य अपमिश्रत निवारण अधिनियम के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें लोगों के उपयोग के लिए सरसों के तेल का पैक करके बेचने की अनुमति दी गई थी बशर्ते विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता ने यह प्रमाणित किया हो कि तेल की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण की अपेक्षाओं के समनुरूप है।

9. 13 अक्तूबर 1998 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक और अधिसूचना जारी की जिसमें सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों को खुले रूप में बेचने की अनुमति प्रदान की गई।

Dropsy Deaths

@*97 SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) how many people died of dropsy as a result of the poisoning of mustard oil;

(b) whether it is a fact that it was not a case of adulteration by trade, since adulteration is indulged in, to mix inferior stuff with good stuff, to make more money and in this case Argemone is not only very expensive, it killed people and very much hurt edible trade;

(c) whether Government suspects MNC hand or political hand in this murderous 'operation sabotage'; and

(d) what are Government's findings in this regard?

THIS MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) 67 people died of dropsy caused by the adulteration of mustard oil.

(b) to (d) Argemone Oil is obtained from the seed of the Argemone mexicana plant which is a wild weed that grows abundantly in waste lands in the Rabi season. Whereas the sale price of mustard seeds is about Rs. 15-20 per kg., it is learnt that price of argemone seeds varies from place to place and the commodity is not easily available in the market.

Prosecution/proceedings under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 have been launched by the Government of NCT of Delhi in 84 cases so far. The court has issued non-bailable warrants against the accused persons in all these cases.

Separately the CBI registered a case on 7.9.98 at the instance of Government and have undertaken further investigations. As a result, they have filed a chargesheet under the relevant Sections of the Indian Penal Code on 23.11.98 in the designated Court against certain accused persons. The investigations conducted have established that certain persons entered into a criminal conspiracy with the object of adulterating mustard oil by mixing argemone oil, rice bran etc. During investigation the CBI have further reported that they could not get information regarding role of multinationals or political hand in the matter of adulteration. Further investigation is still continuing.

SHRI AMAR SINGH: Sir, I would like to know whether it is a fact that the Prevention of Food Adulteration Department had given a clean chit, a few days earlier, to those mustard oils producers in the capital who had been

@ Question Nos. 81 and 97 were taken together.